भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4250
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

गरीबों के लिए न्याय

4250. श्री छोटेलाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुलिस और राजस्व विभागों के अधिकारी न्याय प्रदान नहीं कर रहे हैं, गरीबों के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु कोई कानून बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : सरकार सामान्य जन को सस्ता, गुणवत्तापूर्ण और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन निम्नलिखित प्राधिकरण/संस्थाएं स्थापित की गई हैं, ताकि अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले लाभार्थियों सहित समाज के निर्धन और दुर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा सके :-

(i) राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)
(ii) उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी)
(iii) उच्च न्यायालय स्तर पर 38 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियां (एचसीएलएससी)
(iv) राज्य स्तर पर 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)
(v) जिला स्तर पर 709 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)
(vi) तालुक स्तर पर 2376 तालुक विधिक सेवा समितियां (टीएलएससी)

विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली अन्य गतिविधियों/कार्यक्रमों में विधिक सहायता और सलाह ; विधिक जागरूकता कार्यक्रम ; विधिक सेवाएं/सशक्तिकरण शिविर ; विधिक सेवा क्लीनिक ; विधिक साक्षरता क्लब ; लोक अदालतों का संचालन और पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम का कार्यान्वयन । जेलों, प्रेक्षण गृहों, किशोर न्याय बोर्डों में विधिक सहायता क्लीनिक भी स्थापित किए गए हैं, जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरणों के पैनल वकीलों और पैरा लीगल स्वयंसेवकों द्वारा संचालित किया जाता है। न्याय तक त्वरित और न्यायसंगत पहुंच को सक्षम करने के लिए, नालसा ने सामान्य नागरिकों को विधिक सहायता तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एंड्रॉइड और आईओएस संस्करणों पर विधिक सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ।

2021 में, “भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना” (दिशा) नामक एक व्यापक, अखिल भारतीय स्कीम को 250 करोड़ रुपये के परिव्यय से पांच वर्ष (2021-2026) की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था । दिशा (DISHA) योजना का उद्देश्य टेली-लॉ, न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाओं) और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से विधिक सेवाओं का आसान, सुलभ, सस्ता और नागरिक-केंद्रित परिदान प्रदान करना है । इस स्कीम में प्रौद्योगिकी का उपयोग और क्षेत्रीय/स्थानीय बोली में संदर्भित आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) सामग्री विकसित करना सम्मिलित है, ताकि इसके मध्यक्षेप का समर्थन किया जा सके और समाज के निर्धन और दुर्बलतम वर्गों तक विधिक सेवाओं की आसान पहुँच प्राप्त की जा सके । स्कीम के अधीन ये सभी सेवाएँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित सभी नागरिकों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं ।

****